न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 16/2020 निर्णय दिनांक :– 20.8.20

उनवान

1. गोपाल पुत्र लादूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. शंकर पुत्र लादूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र गणेश जाति जाट निवासी ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वादपत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि तहसील चाकसू के ग्रम चंदलाई के खसरा नंबर 6196, 6197 किता 2 रकबा 0.63 है0 व खसरा नम्बर 6098/6623, 6187/6684, 6193, 6194, 6195, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, जयपुर

6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223 किता 24 रकबा 8.59 है0 स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 के नाम हिस्सा 1/27 दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त हिस्सा ही इस दावे में विवादित हैं

वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 3490 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 3487 रकबा 33 बीघा 19 बिस्वा थे जो एवं इनके साथ अन्य खसरा नम्बर 3489 रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा सहित मिलाकर संवत 2036 से 2039 में प्रतिवादी संख्या 1 सहित अन्य खातेदारो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/27 रिकार्ड में दर्ज था जिसे अपने दर्ज हिस्से 1/27 को प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1985 उपपंजीयक चाकसू द्वारा वादीगण को प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दिया तथा विक्रित भूमि पर कब्जा वादीगण को संभला दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1088 दिनांक 03.05.1986 राजस्व कैंप चन्दलाई में वादीगण के नाम तस्दीक किया गया उसी समय चाकसू तहसील में सेटलमेंट की कार्यवाही चल रही थी जिसमं नये पर्चे बनाये गये किन्तु सहवन से तीनो खसरो में से खसरा नम्बर 3489 से बनये नये खसरो खसरा नम्बर 6098, 6110 से 6112, 6116, 6117, 6130 से 6135, 6199 6201, 6230 में तो वादीगण का नाम दर्ज हो गया किन्तु खसरा नम्बर 3487 व 3490 से बनेय वादग्रस्त खसरों में वादीगण का नाम दर्ज होने से रह गया किन्तु वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

मौके पर तब से लेकर आज तक लगातार शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण अपनी सम्पूर्ण आराजी पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के लगातार काबिज व उपयोग में है प्रतिवादी संख्या 1 ने भी कभी भी कोई ऐतराज नही किया वादीगण ने अभी गत नवम्बर माह में कभी भी कोई भी ऐतराज नही किया वादगण ने अभी गत नवम्बर माह में के0सी0सी0 लेने हेतु जमाबंदिया निकलवाई तो उन्हें देखने पर वादीगण को उक्त त्रुटि का पता चला इस पर वादीण्गा ने सम्पूर्ण पुराना रिकार्ड निकलवाया तो उक्त सेटलमेंट की त्रुटि का पता चला जिस पर वादीगण प्रतिवादी नम्बर 2 के यहा गये तो प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने हेतु निर्देशित किया। कानूनन सेटलमेंट के सारे परिवर्तन को अपने अन्तिम पर्चे में शामिल करना था किन्तु सहवन से विक्रय पत्र के आधार पर खुले नामान्तकरण का असल नये खसरो में एक खाते में आने से रह गया इस कारण प्रतिवादीगण की कार्यप्रणाली को देखते हुये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि वादग्रस्त आराज ीकी खातेदारी की घोषणा की डिक्री प्राप्त करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दे कि वो वादग्रस्त आराजी के वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें, वादीगण को जबरन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बदेखल नही करें, वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को रहन, दान, बेचान व अन्य हस्तांतरण नही करे। दावे के लिये वादीगण को वाद हेतुक दिनांक 10.01.2020 को जब वादीगण प्रतिवादी नं0 2 के यहां गये तो प्रतिवादीगण नं0 2 ने न्यायाल

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

श्रीमान से आदेश लाने हेतु निर्देशित किया तब से जारी होकर निरंतर जारी है। दावा अन्दर मियाद कानून मियाद पेश है। दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वर्णित मद संख्या 1 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/27 को प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण को हिस्सा 1/57–1/54 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादग्रस्त आराजी में वर्णित मद संख्या 1 के वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें, वादीगण को जबरन बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल नही करे, वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को रहन, दान बेचान व अन्य हस्तांतरण नही करे। अन्य कोई उचित आदेश जो वादीगण के हित में हो और माननीय न्यायालय की दृष्टि में उचित हो पारित किये जावे।

दावा वकील वादी ने पेश किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी तो प्रतिवादी की तामील की सूचना पर प्रतिवादी संख्या 1 का फोत होना अंकित होकर रिपोर्ट प्राप्त हुई है। किन्तु वकील वादी ने कथन किया कि दावा विकय पत्र के आधार पर है जो विकय पत्र 30.09.1985 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के जगन्नाथ पुत्र गणेश के द्वारा खसरा नम्बर 3490 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 3487 रकबा 33 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 3489 रकबा 35 बीघा 19

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/27 रिकार्ड में दर्ज था जो 1/27 दिनांक 30.07.1985 वादीगण से प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दिया व कब्जा संभला दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 1082 दिनांक 3.5.1986 वादीगण के नाम तस्दीक किया गया। किन्तु सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान 3489 से बने नये खसरा नम्बरान में तो वादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया किन्तु खसरा नम्बर 3487 व 3490 से बने खसरा नम्बरान वादीगण का नाम होने से रह गया। वादीगण मोके पर आज भी काबिज काश्त है जिस बाबत प्रतिवादी ने कभी भी आपत्ति नही की गयी किन्तु सहवन से विक्रय पत्र के आधार पर खुले नामान्तकरण का अमल नये खसरों में एक खाते में आने से रह गया। इसलिये वर्णित मद नंबर 1 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/27 को प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण को 1/27–1/27 का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाया जावे। वादी ने दावे के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1985 जमाबंदी ग्राम चंदलाई संवत 2073–76 के खाता संख्या 729, 730 मिलान क्षेत्रफल, नक्शा, नामान्तकरण संख्या 3088 जमाबंदी संवत 2036–39 जमाबंदी संवत 2065–68 व नामान्तकरण संख्या 1088 नि0दि0 03.05.1986 वकील वादीगण की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1985 को प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज राजस्व रिकार्ड में 1/27 हिस्से का किया गया था जिसका नामान्तकरण संख्या 1088 दिनांक 03.05.1986 को वादीगण के नाम खुल गया किन्तु उसी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

समय चाकसू तहसील में सेटलमेंट की कार्यवाही चल रही थी। जिसमे नये पर्चे बनाये गये किन्तु सहवन से तीनो खसरा नम्बरों में से 3489 से बनये नये खसरों में से 6098, 6110, 6111, 6112, 6116, 6117, 6130 से 6135, 6199, 6201, 6230 में तो वादीगण का नाम दर्ज हो गया किन्तु खसरा नम्बर 3487 व 3490 से बने वादग्रस्त खसरो में वादीगण का नाम दर्ज होने से रह गया जिसे विक्रय पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं ना0सं0 1088 के आधार पर खसरा नम्बर 3487 व 3490 से बने वादग्रस्त खसरों मे वादीगण का नाम दर्ज करवाया जाना उचित समझते है। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चंदलाई के खसरा नंबर 6196, 6197 किता 2 रकबा 0.63 है0 व खसरा नम्बर 6098/6623, 6187/6684, 6193, 6194, 6195, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223 किता 24 रकबा 8.59 है0 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/27 को प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण को 1/54, 1/57 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
20.8.20
चाकसू